अति महत्वपूर्ण

संख्या–4580 / नौ–1–11–119रिट / 2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त नगर आयुक्त**
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अधिशासी अधिकारी**
   नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2011

विषयः स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबंधन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबधित शासकीय पत्र सं0 4148 / 9.1.11–238सा / 2011, दिनांक 13.11.2011 एवं अनुवर्ती पत्र सं0 4182 / 9.1.11–238सा / 2011, दिनांक 16.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8(4) तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10–ए(4) के अन्तर्गत कमशः नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों / नगर पंचायतों में प्रशासक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये थे।

2. उक्त आदेशों के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 67467 / 2011 अजमल खां उर्फ छोटे बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 65013 / 2011 अनुग्रह नरायन सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्व रिट याचिका सं067991 / 2011 आशुतोष वार्ष्णेय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 69796 / 2011 हरिनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयीं। जिनमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कमशः आदेश दि0 30.11.2011 तथा दि0 13.12.2011 पारित किया गया। इसी प्रकार उक्त आदेशों के विरूद्व मा0 उच्च